

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून, 2021

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 406 (अ) दिनांक 14 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, के पृष्ठ 8 पर, सारणी में, क्र.सं. 8 के समक्ष, कॉलम (2) में, "3804 94" के स्थान पर "3808 94" पढ़ा जाए ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार